पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-05/2022- 2288 /वि०स० । दिनांक 21/6/2022

प्रिय ....

सप्तदश बिहार विधान सभा का पंचम सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 25 फरवरी, 2022 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 31 मार्च, 2022 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । पंचम सत्र में कुल बाईस (22) बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि 22 कार्य दिवसों का यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है । मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में ढ़ेर सारे लोक महत्व के प्रश्न उठाये जाएंगे और राज्य के विकास तथा जन समस्याओं के निवारण के लिए आप सभी माननीय सदस्यगण बढ़-चढ़कर अपना-अपना योगदान करेंगे ।

विगत 17 फरवरी, 2022 को बिहार विधान सभा भवन शताब्दी वर्ष एवं विधान सभा के स्थापना दिवस के अवसर पर एक प्रबोधन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया । तत्परता और संवेदनशीलता के साथ आपकी सहभागिता के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ । आशा करता हूँ कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला जी, राज्य सभा के माननीय उपसभापति, श्री हरिवंश जी, हमारे मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी, माननीय केन्द्रीय मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष और अन्य रिसोर्स पर्सन्स के सारगर्भित व्याख्यानों तथा उदबोधनों से आप निश्चित रूप से लाभान्वित हुये होंगे । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय-समय पर ऐसे कार्यक्रम को किये जाने के लिए प्रोत्साहित किया है ।

इसके अलावा सभा सचिवालय द्वारा आप सभी माननीय सदस्यों के निजी सचिवों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया । इस कार्यक्रम में भी जो उत्साह और भागीदारी देखने को मिली उससे मैं अभिभूत हूँ । मैंने संसदीय प्रणाली को समसामयिक, जनोनमुखी और उत्पादक बनाने का पूरा प्रयास किया है, जिसमें आपका सहयोग निस्संदेह प्रशंसनीय रहा है । संसदीय लोकतंत्र में विधायी निकाय जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है । यह विमर्श का ऐसा केन्द्र है, जहाँ वाद-विवाद और संवाद के जरिये समस्याओं के समाधान की राहें तलाशी जाती हैं । अतः यह हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक कर्त्तव्य है कि सत्र के दौरान मिले सीमित समय का सार्थक सदुपयोग हो । मुझे यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि बिहार विधान सभा के अपने डिजिटल चैनल ''बिहार विधान सभा टी०वी०'' के माध्यम से सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देश और दुनिया तक हो रहा है । हम सबका प्रयास होना चाहिए कि इस महान सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली तस्वीर दुनिया के सामने जाय । मैं इतना ही कहूँगा कि-

''सब तीर्थों का एक तीर्थ, यह हृदय पवित्र बना लें हम ।
आओ शत्रुहीन बन, सबको मित्र बना लें हम ।।
रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना लें हम ।
सौ-सौ आदर्शों को लेकर, एक चरित्र बना लें हम ।।''

मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी, समाज और विधान के ज्ञाता के रूप में, विधि और शुचिता के दायरे में रहते हुए आप इस सदन को लोकहित का प्रतिबिंब और शासन-प्रशासन का दिशा-निर्देश करने वाली संस्था के रूप में दुनिया के सामने ले जाएंगे ।

राज्यपाल का अभिभाषण

वर्ष 2022 के प्रथम सत्र के आरम्भ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अनुसरण में बिहार के महामहिम राज्यपाल, श्री फागू चौहान द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को बिहार विधान मंडल के सेन्ट्रल हॉल में दिनांक 25 फरवरी, 2022 को सम्बोधित किया गया । श्री नन्द किशोर यादव, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा श्री जितेंद्र कुमार, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा अनुमोदन किया गया । धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर दिनांक 28 फरवरी एवं 02 मार्च, 2022 को वाद-विवाद हुआ तथा प्रस्ताव पारित किया गया ।

अध्यादेश

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (2) (क) के अनुसार महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ''बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2022'' की एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 25 फरवरी, 2022 को महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्नांकित तीन (03) विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक

(1) बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021

(2) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021

(3) बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021

वित्तीय कार्य

दिनांक 28 फरवरी, 2022 को वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आय-व्ययक उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 03 एवं 04 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार का उत्तर हुआ । वित्तीय वर्ष 2022-2023 में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर 11 दिनों तक वाद-विवाद चला । सभी प्राप्त कटौती प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया तथा अनुदानों की मांग पारित हुआ एवं शेष अनुदानों की मांग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुआ । तत्संबंधी बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 दिनांक 26 मार्च, 2022 को पारित हुआ ।

दिनांक 03 मार्च, 2022 को वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया । दिनांक 07 मार्च, 2022 को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित पंचायती राज विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात् सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग विधेयक, 2022 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
2. श्रम संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार प्रशिक्षण पक्ष / संस्थान लिपीकीय संवर्ग नियमावली, 2011; बिहार प्रशिक्षण पक्ष / संस्थान लिपीकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014; बिहार प्रशिक्षण पक्ष / संस्थान लिपीकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2015 एवं बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली, 2018 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

3. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा-18(2) के अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-68, दिनांक-13.01.2022 तथा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-69, 70 दिनांक-21.01.2022; एस०ओ०- 162, 163, 164, 165, दिनांक-06.12.2021; एस०ओ०-166, दिनांक-22.12.2021; एस०ओ०-167, 168, 169, दिनांक-30.12.2021; एस०ओ०-170 एवं 171, दिनांक-31.12.2021 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

4. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 287(ख) के तहत् वर्ष 2021-22 के लिए गठित नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

5. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत् बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17; बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17; नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

6. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 23(क), नियम- 93 एवं नियम- 244 में संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित वर्ष 2021-22 के लिए गठित नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 10.03.2022 को सदन पटल पर रखा गया था । नियमावली के नियम-287(ख) के तहत किसी भी माननीय सदस्य से संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । अतएव नियमावली के नियम-288 के परन्तुक के अन्तर्गत संशोधन के प्रस्ताव को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में अंगीकार करने का उपबंध किया जाय'' ।

7. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 का ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन'' तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' की प्रति का महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखी गयी ।

8. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 का ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन'' तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो ।''

9. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के परिणाम बजट पुस्तिका की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

10. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के बाल कल्याण बजट पुस्तिका की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

11. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के ग्रीन बजट पुस्तिका की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

12. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की जेन्डर बजट पुस्तिका की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

13. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत् बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 2018-19 का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

विकासशील इंसान पार्टी का विलय

विकासशील इंसान पार्टी के तीनों माननीय सदस्य श्रीमती स्वर्णा सिंह, क्षेत्र संख्या-79(गौड़ाबौराम); श्री मिश्री लाल यादव, क्षेत्र संख्या-81(अलीनगर) एवं श्री राजू कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या-98(साहेबगंज) द्वारा भारतीय जनता पार्टी विधायक दल में विलय किये जाने के अनुरोध पर भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन विकासशील इंसान पार्टी विधायक दल का भारतीय जनता पार्टी विधायक दल में विलय की मान्यता दिनांक 23 मार्च, 2022 से प्रदान किये जाने की सूचना से सदन को अवगत कराया गया ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह, स०वि०स०; श्री मिश्री लाल यादव, स०वि०स० एवं श्री राजू कुमार सिंह, स०वि०स० अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुर:स्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2022
2. बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022
3. बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022
4. बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022
5. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022
6. बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022
7. बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022
8. बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022
9. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2022
10. बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022
11. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022

सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श

दिनांक-26 मार्च, 2022 को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-43 के तहत श्री संजय सरावगी, स०वि०स० से प्राप्त सूचना ''संवैधानिक अधिकार एवं कर्त्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने'' पर विमर्श हुआ ।

याचिका

इस सत्र में कुल 463 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 436 स्वीकृत हुए तथा 27 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 873 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 867 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 06 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 5460 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 4693 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 137 अल्पसूचित, 3885 तारांकित एवं 671 अतारांकित थे ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 312 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 38 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 265 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 09 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 263 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 258 सूचनाएँ स्वीकृत तथा 05 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 203 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये, 13 सूचनाएँ सदन द्वारा स्वीकृत हुये, 03 सूचनाएँ सदन द्वारा अस्वीकृत किये गये तथा 39 सूचनाएँ अपृष्ठ हुये ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय डॉ० महेन्द्र प्रसाद, पूर्व सांसद, लोक सभा एवं राज्य सभा
2. स्वर्गीय डॉ० गौरी शंकर राजहंश, पूर्व सांसद, लोक सभा
3. स्वर्गीय हरि नारायण सिंह, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय प्रो० नलिनी रंजन सिंह, पूर्व स०वि०स०
5. स्वर्गीय शकुन्तला देवी, पूर्व स०वि०स०
6. स्वर्गीय विजय शंकर मिश्र, पूर्व पूर्व स०वि०प०
7. स्वर्गीय परवेज अहसन खां, पूर्व स०वि०स०
8. स्वर्गीय सुल्तान अहमद, पूर्व स०वि०स०
9. स्वर्गीय शिव प्रसन्न यादव, पूर्व स०वि०प०
10. स्वर्गीय पद्मा चौबे, पूर्व स०वि०स०
11. स्वर्गीय उमेश सिंह, पूर्व स०वि०स०
12. स्वर्गीय विपिन रावत, प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एवं पूर्व थल सेना अध्यक्ष
13. स्वर्गीय लता मंगेशकर, सुर कोकिला एवं पार्श्व गायिका
14. स्वर्गीय रामदेव सिंह यादव, पूर्व स०वि०स०
15. स्वर्गीय नागेन्द्र प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०प०
16. स्वर्गीय दीनबन्धू प्रसाद यादव, पूर्व स०वि०स०
17. स्वर्गीय रामाश्रय ईश्वर, पूर्व स०वि०स०
18. स्वर्गीय रविन्द्र कुमार राणा, पूर्व स०वि०स०

दिनांक 31 मार्च, 2022 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी । जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

सेवा में,

....

....

....

2/6/22

(पवन कुमार पाण्डेय)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।